RAJYA SABHA

Tuesday, the 28th April, 1987/
8 Vaisakha, 1909 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*181. [*The questioner (Shri Krish-Kumar Birla) was absent. For answer, vide col. 42-43 infra].*

Identification of wasteland

*182. DR. H. P. SHARMA:†

SHRI MAHENDRA PRASAD:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the area of wasteland identified in different States and Union Territories;

(b) the area found (i) cultivable by modern means of agriculture; (ii) fit for grass-lands; (iii) for afforestation and (iv) useful for other purposes; and

(c) the progress made so far in each respect, State/Union Territory-wise and the targets fixed for the current year?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BHAJAN LAL): (a) Statement-I is placed on the Table of the House.

(b) Statement-II is placed on the Table of the House.

(c) The progress of afforestation during 1985-86 is contained in Statement-III and that for 1986-87 with the targets for 1987-88 is shown in Statement-IV, placed on the Table of the House.

Statement I

Area of wasteland identified in different States and Union Territories

(Area in Lakh ha.)

Sl. No.	States/UTs	Total Geographical Area	Total Problem Area		
			Degraded due to soil erosion	Degraded due to other reasons	Total
1	2	3	4	5	6
1	Andhra Pradesh	276·82	115·02	7·29	122·31
2	Assam	78·52	22·17	7·82	29·99
3	Bihar	173·88	42·60	12·92	65·52
4	Gujarat	195·98	99·46	26·40	125·86
5	Haryana	44·22	15·91	26·70	41·62
6	Himachal Pradesh	55·67	19·14	–	19·14

*The question was actually asked on the floor of the House by Dr. H. P Sharma.

1	2	3	4	5	6
7	J & K	222·24	8·83	0·10	8·23
8	Karnataka	191·77	109·89	4·14	114·03
9	Kerala	38·87	17·57	1·78	19·35
10	Madhya Pradesh	442·84	196·10	14·07	207·17
11	Maharashtra	307·76	191·81	6·65	198·46
12	Manipur	22·36	3·74	3·60	7·34
13	Meghalaya	22·49	8·37	2·65	11·02
14	Nagaland	16·53	4·05	0·77	4·82
15	Orissa	155·78	45·78	32·25	78·03
16	Punjab	50·36	10·07	22·23	32·30
17	Rajasthan	342·21	119·02	174·92	293·94
18	Sikkim	7·30	3·03	—	3·03
19	Tamil Nadu	130·07	36·40	1·82	38·22
20	Tripura	10·48	1·67	1·12	2·79
21	Uttar Pradesh	294·41	71·10	60·05	131·15
22	West Bengal	87·85	10·33	32·70	43.03
23	A & N Islands	8·29	2·59	—	2·59
24	Arunachal Pradesh	83·58	24·44	2·10	26·54
25	Chandigarh	0·11	0·01	—	0·01
26	Dadra & Nagar Haveli	0.49	10·12	—	0·12
27	Delhi	1.49	0.74	0.01	0.75
28	Goa, Daman & Diu	3,81	2.00	—	2.00
29	Lakshadweep	0.03	—	—	—
30	Mizoram	21.09	4.21	1.89	6.10
31	Pondicherry	0.48	0.03	—	0.03
		3287.79	1,266.20	449.99 14.65*	1,716.19 14.65*
			1,266.20	464.16	1,730.84

*Coastal Sandy Areas not Reported Statewise.

SOURCE : Developing India's Wasted Lands, A Briefing Paper, Centre For Science and Environment, Delhi, 1986.

NOTE : The National Commission on Agriculture (1976) estimated a total country wide area of about 175 million hectares as being degrated.

Statement-II

Area found cultivable by modern means of agriculture, fit for grasslands, for afforestation and useful for other purposes.

The precise classification of the extent of wastelands that would be available for cultivation through modern means of agriculture, grasslands, afforestation and other uses are not available in existing estimates because land use priorities are continuously changing under the influence of local economic and social factors. When micro-level identification of wastelands is carried out, the appropriate land use for such wastelands would also be decided on the basis of local requirements and the capabilities of the land. Micro-level information is therefore maintained on existing land use and not on availability for any particular type of land use.

The Ministry of Agriculture in 1986 had estimated that 30 to 31 million hectares of culturable wastelands would be available for fodder development, afforestation and agriculture.

The Ministry of Agriculture had also classified land suffering from varying degrees of degradation under different land use categories, as presented in the table below:

Land	Area (in Lakh ha.)
1. Degraded Agricultural land	850
2. Degraded Forests land	370
3. Pastures	130
4. Culturable Waste	170
5. Fallow land	230
	1750

SOURCE : National Land Use Policy, Ministry of Agriculture, 1986.

Statement—III

Targets and achievements under afforestation for 1985-86

Sl. No.	State/UT	Target (Seedlings in Lakhs)	Achievement (Seedlings in Lakhs)	Equivalent (Area in Ha.)
1	2	3	4	5
1	Andhra Pradesh	2600	3156	157800
2	Assam	400	396	19800
3	Bihar	1500	1523	76150
4	Gujarat	2550	2497	124850

1	2	3	4	5
5	Haryana	950	937	46850
6	Himachal Pradesh	550	672	33600
7	Jammu & Kashmir	350	467	23350
8	Karnataka	2500	2546	127300
9	Kerala	600	1166	58300
10	Madhya Pradesh	3500	3501	175050
11	Maharashtra	2000	2165	108250
12	Manipur	120	125	6200
13	Meghalaya	130	111	6550
14	Nagaland	180	268	13450
15	Orissa	2142	1930	96500
16	Punjab	527	590	29500
17	Rahasthan	820	958	47900
18	Sikkim	82	82	4100
19	Tamil Nadu	1100	1215	60750
20	Tripura	150	200	10000
21	Uttar Pradesh	3250	3548	177400
22	West Bengal	1100	1115	55750
23	A & N Islands	95	95	47500
24	Arunchal Pradesh	100	103	51500
25	Chandigarh	2.9	1.52	76
26	Dadra & Nagar Haveli	30	31	1550
27	Delhi	25	25	1250
28	Goa, Daman & Diu	32	45	2250
29	Lakshadweep	0.04	0.25	12.5
30	Mizoram	700	700	35000
31	Pondicherry	10	11	550
	TOTAL	28095.94	30200.77	1514538.5 —1.51 Million Hectares

SOURCE : Ministry of Programme Implementation, 1986.

Statement—IV

Targets and Achievements 1986-87 *Proposed targets for afforestation* 1987-88

S. No.	State	Seedlings in Lakh		Targets for Afforestation 1987-88		
		Target	Achievements upto Jan.	Farm Forestry (Seedlings in lakhs)	Block Plantations (ha.)	Total afforestation (Seedlings in lakhs)
1	2	3	4	5	6	7
1	Andhra Pradesh	3000.00	2747.00	2520.00	54000.00	3600.00
2	Assam	400.00	625.00	490.00	10500.00	700.00
3	Bihar	2600.00	2711.00	2450.00	52500.00	3500.00
4	Gujarat	1631.00	2271.00	1750.00	37500.00	2500.00
5	Haryana	7725.00	644.00	507.00	10900.00	725.00
6	Himachal Pradesh	625.00	567.00	630.00	13500.00	900.00
7	Jammu & Kashmir	522.00	244.00	490.00	10500.00	700.00
8	Karnataka	2500.00	2279.00	2240.00	48000.00	3200.00
9	Kerala	1200.00	1519.00	1260.00	27000.00	1800.00
10	Madhya Pradesh	3700.00	3920.00	3500.00	75000.00	5000.00
11	Maharashtra	2400.00	2352.00	2240.00	48000.00	3200.00
12	Manipur	160.00	144.00	140.00	3000.00	200.00
13	Meghalaya	150.00	158.00	140.00	3000.00	200.00
14	Nagaland	350.00	403.00	420.00	9000.00	600.00
15	Orissa	2400.00	2161.00	2240.00	48000.00	3200.00
16	Punjab	5550.00	502.00	525.00	11250.00	750.00
17	Rajasthan	1100.00	1315.00	1120.00	24000.00	1600.00
18	Sikkim	110.00	114.00	105.00	2250.00	150.00
19	Tamil Nadu	2400.00	1711.00	2240.00	48000.00	3200.00
20	Tripura	320.00	268.00	280.00	6000.00	400.00
21	Uttar Pradesh	4500.00	4865.00	4200.00	9000.00	6000.00
22	West Bengal	1400.00	1365.00	1260.00	27000.00	1800.00
23	A & N Islands	120.00	116.00	91.00	1950.00	130.00
24	Arunachal Pradesh	125.00	26.00	87.50	1875.00	125.00
25	Chandigarh	3.40	3.60	3.50	75.00	5.00

1	2	3	4	5	6	7
26	Delhi . . .	50.00	44.00	44.80	960.00	60.00
27	Dadra & Nagar Haveli . . .	30.00	31.00	28.00	600.00	40.00
28	Goa, Daman & Diu .	75.00	68.00	70.00	1500.00	100.00
29	Lakshadweep . .	0.12	0.27	0.21	4.50	0.30
30	Mizoram . . .	1128.00	1284.00	1120.00	24000.00	1600.00
31	Pondicherry . .	10.00	8.93	7.49	160.50	10.70
	TOTAL	34284.52	34460.80	32199.50	690025.00	46000.00

*Block Plantation are mostly carried out by Institutions and Government agencies.

DR. H. P. SHARMA: Mr. Chairman, Sir, two years ago the Prime Minister, calling on the nation for halting of deforestation set up the National Wasteland Development Board with the object of bringing 5 million hectares of land every year under fuelwood and fodder plantation. The figures supplied in reply to my reply provide that every year no more than 1.5 million hectares are being reclaimed and addtional 1.5 million to 2.5 million hectares go into deforestation, leaving us with the net of 1 million hectares further degradation. In view of this, what is the strategy that instead of reclaiming the wastelands we are further sliding back?

श्री भजन लाल: सभापति महोदय, यह ठीक बात है कि प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि पचास लाख हैक्टर में हर साल वन रोपण किया जाएगा। भारत सरकार की पूरी कोशिश रही है और इसी बात को लेकर इस बोर्ड का गठन किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर वनों के विनाश को रोका जाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ मुल्क में लगाये जा सकें।

इसी दृष्टि से 1985-86 में 15 लाख हैक्टर में पेड़ लगाने का काम किया गया, 1986-87 में 17 लाख हैक्टर में पेड़ लगाए गए और चालू साल में हमने 23 लाख हैक्टर में पेड़ लगाने की योजना बनाई है और आने वाले दो सालों में हमारी कोशिश होगी कि पूरी सातवीं पंच वर्षीय योजना में एक करोड़ पच्चीस लाख हैक्टर में हम पेड़ लगायें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुल्क में पेड़ लग सकें।

जहां तक विनाश होने का ताल्लुक है, कटाव का ताल्लुक है, उसके लिए भी हमने अलग से योजना बनाई है ताकि उसके तहत काम करवा कर ज्यादा से ज्यादा वन देश में लगाये जा सकें।

DR. H. P. SHARMA: Sir, the Minister has not answered the first part of my question where I said that there was a degradation of one million hectares every year. Instead of reclaiming, we are further sliding back.

Part 2 of my question relates to the report of the Indian Law Institute which was commissioned by the National Wasteland Development Board and the Ministry of Environment for study into the strategy of reclamation of wastelands through social forestry. I have not seen the report

itself, but it is reported to be a serious indictment of the wastelands and their hampering development. The report also mentions that the benefits of the deforestation programmes do not go to the labourer directly. They are taken or cornered mostly by the industries and other big people. The 1981 law of the forest conservation transfers the responsibility of forests from the States to the Centre. In view of this, what is the startegy of the Ministry?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, जैसा इन्होंने कहा कि हर साल 10 लाख हेक्टेयर जमीन खराब हो जाती है, यह बात सही नहीं है और वनों की वजह से खराब नहीं है। खराब होने के कई कारण हैं। जैसे सेम की वजह से खराब हो गई, कहीं जमीन खारी हो गई, नीचे का पानी खारी हो गया, उसकी वजह से हो सकता है कहीं रेगिस्तान आ गया हो। अकेले वनों की वजह नहीं है। लेकिन जहां तक दूसरी योजनाओं का ताल्लुक है, मैं बताना चहाता हूं माननीय सदस्य को कि हमारी कई योजनाएं हैं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम जिस पर सातवीं पचवर्षीय योजना में 500 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। इसी तरह ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम है उस पर 348.76 करोड़ पया खर्च करने जा रहे हैं। सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम पर 94.80 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। रेगिस्तान के विकास के लिए खास करके राजस्थान के लिए 98 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 2315 करोड़ रुपया सातवीं पंचवर्षीय योजना खर्च करेंगे ताकि रेगिस्तान से बचाया जा सके। पेड़ लगने की वजह से रेगिस्तान आना बंद होगा। उसके लिए भी अलग से कार्यक्रम बनाया है। इसी तरह से वाणिकी प्रोग्राम है, सोशल फोरेस्ट्री का प्रोग्राम है ताकि लोगों का फोरेसेट्री की तरफ ध्यान लाया जा सके और लोगों की चि पेड़ों की तरफ खींची जा सके।

MR. CHAIRMAN: Is it a fact that forest laws are hampering development of wasteland? That is one point which he raised. And if so, what do you propose to do about it?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, कानून की वजह से कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। जैसे इन्होंने कहा है कि शायद बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फायदा उठाना चाहते होंगे हमारी कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि हम वेस्ट लैंड को किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को देने जा रहे हैं। हम उन लोगों को जरुर देने की सोचते हैं जैसे हमारी फो पट्टा स्कीम है ताकि जो गरीब आदमी, हरिजन है, आदिवासी लोग है जिसके पास कोई साधन नहीं है उनको एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर तक जमीन दें ताकि जलाने वाली लकड़ी की समस्या हल हो सके, घास उगा सकें, फलदार पेड़ लगा सकें और सब्जी लगा सकें जिससे अपनी जीविका कमा सकें। इस कानून का जहां तक ताल्लुक है उसको भी चेंज करने जा रहे हैं ताकि वनों के विनाश को रोका जा सके।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देश में जो 70 लाख हेक्टेयर अल क्लाइन और सेलाइन लैंड है, अलक्लाइन लैंड में थोड़ी सी पानी की व्यवस्था करने से और जिप्सम का प्रयोग करने से जमीन का सुधार हो सकता है। सेलाइन लैंड में जहां नीचे पत्थर आ जाते हैं वहां पर पेड़ भी नहीं हो सकते और खेती भी नहीं हो सकती तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अलक्लाइन लैंड और सेलाइन लैंड में एफोरस्टेशन वृक्ष लगाने का कार्यक्रम आपने प्रारम्भ किया है, दोनों में यह किस-किस प्रकार से करते हैं, पानी की क्या व्यवस्था की है? पेड़ आपने लगा दिए 15 लाख हेक्टेयर और 17 लाख हेक्टेयर में वहां पर पानी की आपने क्या व्यवस्था की है, उनकी रक्षा की क्या व्यवस्था की है? सेलाइन और अलक्लाइड लैंड में आप किस प्रकार से वृक्षारोपण या खेती का इंतजाम कर रहे हैं?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को हम एडवाइज़ करते हैं और उनको हम बकायदा डायरेक्टव देते हैं कि आपको इस तरह से करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम बनाकर के भारत सरकार के पास भेजती है और भारत सरकार उसके साधन जुटाती है। जैसा इन्होंने कहा कि खारी जमीन की नीचे पत्थर होने के कारण पेड़ ठीक से लग नहीं सकते तो उस सारी बात को देख करके कि कौन सी जगह पानी का इंतजाम कैसे किया जा सकता है उस हिसाब से पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं ताकि वहां पर पेड़ लग सकें। जो जमीन ऊबड़-खाबड़ है उसको भी ठीक करके उस पर पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए जैसा मैंने बताया कि भारत सरकार ने अपने बजट में पैसा रखा है और स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीम बना कर भेजता है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को हम पैसा प्रोवाइड करते हैं।

श्री अजीत जोगी : माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दोनों ऐसे प्रांत हैं जहां पर बंजर भूमि राष्ट्र में सब से अधिक है। मंत्री जी के उत्तर से यह भी स्पष्ट है कि जो प्रयास बंजर भूमि को ठीक करने के लिए कम से कम इन दोनों प्रान्तों में हो रहे हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या जो प्रयास शासकीय तौर पर और नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड के स्तर पर हो रहे हैं उनके अलावा अशासकीय स्तर पर उद्योगपतियों के माध्यम से और शासन के दूसरे विभागों द्वारा किए जा रहे हैं जैसे कि मध्य प्रदेश में रेलवे लाइन के दोनों तरफ रेलवे विभाग की बहुत बड़ी बंजर भूमि पड़ी हुई है और इसी तरह से लोक निर्माण विभाग की सड़कों के दोनों तरफ बहुत बड़ी बंजर भूमि पड़ी हुई है तो क्या उद्योग विभागों और इन दोनों विभागों के माध्यम से इन प्रयासों को और गति देने के लिए कार्यवाही मध्य प्रदेश और राजस्थान में की जाएगी जिससे बहुत बड़े हिस्से को इन दोनों प्रान्तों में लगभग आधा जो हिस्सा बंजर पड़ा हुआ है वह कम किया जा सके ?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, इन्होंने दो सवाल किए। एक तो उद्योगपतियों का इन्होंने जिक्र किया कि उनके माध्यम से क्या सरकार की पेड़ लगाने की कोई योजना है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि सरकार की कोई योजना नहीं है कि उनके माध्यम से पेड़ लगाए जाएं।

जहां तक रेल ट्रेक के दोनों ओर तथा सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाने का सवाल है यह स्कीम तो पहले से ही चालू है और आप ने देखा ही होगा कि सड़कों के साथ साथ किसी भी प्रदेश में आप जाएं तो आपको दोनों ओर पेड़ लगे हुए मिलेंगे भारी तदाद में आपको पेड़ नजर आएंगे। इसी तरह से रेलवे के दोनों ओर भी जहां पर भी जमीन उपलब्ध है, वहां पर सरकार की यही कोशिश रही है कि रेल ट्रेक के साथ साथ पेड़ भी लगाए जाएं।

PROF. B. RAMACHANDRA RAO: Sir, I understand that about 75 million hectares of forest land has now become half in area. In other words, over the last decade and odd, our forest area has been cut down to half. I also understand that the National Wasteland Development Board has made two important recommendations. I would like to know from the honourable Minister his reaction to these two. The first is that the Forest Department whose area has now become half, that is the semi-denuded land, could be given to voluntary agencies and village organizations so that they can take up on a massive scale re-afforestation of the deforested land. I would like to know whether the Ministry is prepared to allow this by voluntary agencies and people's participation. Secondly, I understand that a lot of denudation or removal or cutting down of tress is due to the demand

by our paper industry. Now I also understand that the National Wasteland Development Board has sent a proposal that the paper industry could be given, on long lease, such of those lands which are not useful for cultivation so that they can grow their own forests so that the pressure on the existing forests can be removed. I would like to know about these two points.

श्री भजन लाल : सभापति महोदय फॉरेस्ट एरिया में किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को जमीन देने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता । लेकिन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने ऐवेन्यू एस्टेट में से चाहे तो भारत सरकार को उसमें कोई ऐतराज नहीं है । लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि कुछ संस्थाएं हैं समाज सेवी संस्थाएं हैं या पंचायतें हैं क्या उनको हम पेड़ लगाने की सुविधा देंगे, तो उनको हम बकायदा इनवाल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि जो शामलात जमीनें पड़ी हुई हैं उसमें पेड़ लगाए जा सकें । इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमें हैं कि वे पेड़ लगाएं ताकि उन पेड़ों की मालिक भी गांव पंचायतें हो सकें और उनके साधन भी बन सकें । इसके साथ ही साथ मुल्क में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लग सकें ।

जहां तक वनों का ताल्लुक है यह ठीक है कि मुल्क में कानूनी तौर पर साढ़े सात करोड़ हैक्टेयर भूमि में वन हैं लेकिन आप मौके पर जाकर देखेंगे तो इतना वन नहीं है क्योंकि बहुत से कटे हुए हैं, कुछ डिग्रेडेड हैं और कुछ अच्छे नहीं हैं । अच्छे का हिसाब लगाकर देखें तो तकरीबन आधार ही बैठता है । लेकिन हमारी कोशिश यही है कि जंगलों को फिर से हरा भरा किया जाए और उनमें दोबारा वन लगाएं जाएं ताकि वनों के विनाश को रोका जा सके और वन ज्यादा से ज्यादा मुल्क में लगें इसके लिए हमने स्कीमें बनाई हैं ।

*183. [Transferred to the 8th May, 1987].

MR. CHAIRMAN: The woods are lovely, dark and deep.

But I have promises to keep the questions moving. Question No. 184.

SHRI V. GOPALSAMY: And miles to go before, I sleep, Sir.

Development of Places of Pilgrimage as Tourist Spots

*184. SHRI J. P. GOYAL: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) the names of places of pilgrimage which have been developed to tourist spots by the Central Government so far in various States;

(b) the names of places of pilgrimage in various parts of the country which are proposed to be developed as tourist spots during the year 1987-88; and

(c) the particulars of places of Jain pilgrimage which have so far been developed in the country as places of tourist attraction and are proposed to be developed as such in 1987-88?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The Ministry of Tourism provides facilities for pilgrims by constructing Yatrikas/other accommodation and by improving and developing other tourist facilities at places of pilgrimage. Such facilities have been provided at Amarkantak, Chitrakoot, Bidar, Kampil, Nandmehr, Bodhgaya, Rajgir, Varanasi, Bhubaneshwar and Madurai.